भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1807
जिसका उत्तर 05.12.2024 को दिया जाना है
पंजीकृत मोटर वाहन

1807. श्री राजकुमार चाहर:
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) श्रेणी के अनुसार कुल पंजीकृत परिवहन मोटर वाहन की संख्या, गति सीमा उपकरणों (एसएलडी) सहित उनकी संख्या कितनी है तथा एसएलडी फिटमेंट प्रावधान क्या हैं.
(ख) पंजीकृत मोटर वाहनों, वैध ड्राइविंग और लर्नर लाइसेंसों की कुल संख्या कितनी है और लाइसेंस कम जारी किए जाने के क्या कारण हैं;
(ग) मोटर वाहनों के लिए जारी की गई कुल वैध बीमा पॉलिसियां और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों (पीयूसीसी) की संख्या कितनी हैं;
(घ) एसएलडी, लाइसेंसों, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों (पीयूसीसी) के संबंध में आंकड़े उपलब्ध होने के बावजूद जुर्माना लगाने और लाइसेंसों के निलंबन सहित मोटर यान अधिनियम के अपर्याप्त प्रवर्तन के क्या कारण हैं; और
(ङ.) विगत पांच वर्षों के दौरान देशभर में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने ई-चालान जारी किए गए हैं और कितनी जुर्माना राशि वसूल की गई?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 118 के अनुसार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक परिवहन वाहन, जैसा इसमें प्रावधान है, के सिवाय, और 1 अक्टूबर, 2015 को या उसके बाद निर्मित, वाहन निर्माता द्वारा विनिर्माण चरण में या डीलरशिप चरण में, समय-समय पर संशोधित मानक एआईएस 018/2001 के अनुरूप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम पूर्व-निर्धारित गति वाले स्पीड गवर्नर (गति सीमित करने वाला उपकरण या गति सीमित करने वाला कार्य) से सुसज्जित या फिट किया जाएगा।

आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि परिवहन वाहन जो-
(i) दो पहिया वाहन;
(ii) तिपहिया वाहन;
(iii) चार पहिया वाले वाहन;
(iv) अग्निशमन गाड़ियां;
(v) एम्बुलेंस;
(vi) पुलिस वाहन;
(vii) नियम 126 में निर्दिष्ट परीक्षण एजेंसी द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया गया हो कि अधिकतम निर्धारित गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी;
गति नियंत्रक (गति सीमित करने वाला उपकरण या गति सीमित करने वाला कार्य) से सुसज्जित या फिट किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

30 नवंबर, 2024 तक 2.18 करोड़ परिवहन वाहनों में से 10.70 लाख परिवहन वाहनों में गति सीमा उपकरण (एसएलडी) लगे हुए हैं।

(ख) नवंबर, 2024 तक, राष्ट्रीय मोटर वाहन रजिस्टर अर्थात वाहन 4.0 के अनुसार, पंजीकृत मोटर वाहनों की कुल संख्या लगभग 38.51 करोड़ है। राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर अर्थात सारथी 4.0 के अनुसार, वैध ड्राइविंग लाइसेंस और वैध लर्नर लाइसेंस की कुल संख्या क्रमशः 18.20 करोड़ और 95.79 लाख है। मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस में वाहनों की कई श्रेणियां जोड़ी जा सकती हैं। इसके अलावा, कोई व्यक्ति या कंपनियाँ, गैर सरकारी संगठन, सरकार, स्थानीय निकाय आदि जैसी संस्थाएँ अपने नाम पर एक से अधिक मोटर वाहन रख सकती हैं।

(ग) वाहन 4.0 पर बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, बीमित मोटर वाहनों की कुल संख्या 17,54,37,351 है। इसके अलावा, मोटर वाहनों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) की कुल संख्या 5,34,30,822 है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 के उप-नियम (7) के अनुसार, नए मोटर वाहन जिन्होंने अपने प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से एक वर्ष पूरा नहीं किया है, उन्हें पीयूसीसी से गुजरना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, केंद्रीय मोटर

यान नियमावली, 1989 के नियम 115 के उप- नियम (1) और (2) के अनुसार, बैटरी चालित वाहनों और गैर-स्व-चालित वाहनों (ट्रेलर, आदि) को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) से छूट दी गई है।

(घ) केन्द्र सरकार की भूमिका मोटर यान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के तहत नियमों/विनियमों को अधिसूचित करना है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ड.) ई-चालान पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर , 2023 तक जारी किए गए ई- चालान की संख्या और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार को छोड़कर, जहां ई- चालान को उक्त अवधि में लागू नहीं किया गया) को उपार्जित राजस्व का राज्य - वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**जारी किए गए चालान की संख्या**	**राजस्व संग्रहण (रुपये में)**
1.	तमिलनाडु	5,57,62,916	7,55,58,16,274
2.	उत्तर प्रदेश	4,40,03,150	24,95,18,72,926
3.	केरल	1,88,35,738	6,90,92,02,912
4.	हरियाणा	1,03,90,665	14,65,17,51,846
5.	दिल्ली	90,22,711	5,71,43,38,802
6.	राजस्थान	58,55,678	13,93,47,99,915
7.	ओडिशा	54,11,511	5,00,06,47,690
8.	बिहार	43,41,219	14,03,85,98,368
9.	हिमाचल प्रदेश	36,06,736	3,81,74,53,286
10.	पश्चिम बंगाल	33,44,857	3,18,46,88,520
11	गुजरात	33,31,209	6,80,31,93,071
12.	महाराष्ट्र	30,91,878	9,44,11,27,057
13.	गोवा	25,86,910	78,30,56,228
14.	चंडीगढ़	22,90,051	1,49,99,55,378
15.	मध्य प्रदेश	20,19,408	69,21,38,896
16.	असम	18,08,274	3,51,13,99,862
17.	जम्मू और कश्मीर	17,62,845	50,38,34,565
18.	उत्तराखंड	14,30,163	1,65,34,12,974
19.	त्रिपुरा	8,24,362	26,80,74,243
20.	झारखंड	6,71,941	50,07,44,416
21.	छत्तीसगढ	4,93,068	33,79,34,672
22.	पंजाब	4,07,691	31,53,48,085
23.	आंध्र प्रदेश	3,87,676	77,49,215
24.	पांडिचेरी	2,90,868	6,29,94,200
25.	कर्नाटक	2,79,957	5,28,61,700
26.	मेघालय	70,531	6,58,82,600
27.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	57,985	3,51,64,187
28.	मिजोरम	15,709	1,38,12,800
29.	मणिपुर	7,128	4,25,99,12
30.	सिक्किम	1,564	73,03,090
31.	लद्दाख	651	2,96,625
	कुल	**18,24,05,050**	**1,26,31,97,14,315**

*****